उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली—व्यवसाय—संस्था (देय की वसूली) अधिनियम, 1958 {उत्तर प्रदेश संख्या 16, 1958}

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT ELECTRICAL UNDERTAKINGS (DUES RECOVERY) ACT, 1958 [U. P. ACT No. XVI of 1958]

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली—व्यवसाय—संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958¹ {उत्तर प्रदेश संख्या 16 वर्ष 1958}

[उ० प्र० अधिनियम संख्या २७, १९६३ एवं उ० प्र० अधिनियम संख्या ३६,१९७४ द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 फरवरी, 1958 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 25 मार्च,, 1958 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।}

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 8 मई, 1958 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकार असाधारण गजट में दिनांक 12 मई 1958 ई को प्रकाशित हुआ।

सरकारी व्यवसाय-संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली बिजली-शक्ति के देयों की शीघ्र वसूली की व्यवस्था करने का

अधिनियम

यह इष्टकर है कि सरकारी व्यवसाय—संस्थाओं द्वारा दी गयी बिजली के देयों की शीघ्र वसूली के लिए व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली—व्यवसाय—संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

- (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।
- 2-- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम मे -

परिभाषाएं

- {(क) ''उपभोक्ता'' का अर्थ है, कोई व्यक्ति जिसे सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था द्वारा बिजली शक्ति संभरित की जाय, चाहे उसके स्वयं उपभोग के लिये हो, चाहे उसके बिजली शक्ति के संभरण के व्यापार के सम्बन्ध में हों, चाहे अन्यथा हों, }²
- (ख) "नियत प्राधिकारी" के अन्तर्गत वह प्रत्येक व्यक्ति आता है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कार्य करने के निमित्त ऐसे क्षेत्र के लिये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकृत किया हो;
- (ग) ''सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था'' के अन्तर्गत कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडिमिनिस्ट्रेशन तथा राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा संचालित या नियंत्रित ऐसी अन्य बिजली व्यवसाय संस्थाएं आती है, जो एतदर्थ विज्ञापित की जायें;
 - (घ) ''राज्य सरकार'' का अर्थ है, उत्तर प्रदेश की सरकार; तथा
- (ङ) ''बोर्ड'' का अर्थ है समय—समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 5 के अधीन संघटित ''स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड''।

3— जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था को कोई धनराशि {जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा 47—क के अधीन देय प्रतिभूति की धनराशि भी है,}¹ देय हो तो नियत प्राधिकारी वह धनराशि बकाया होने के दिनांक से 30 दिन के बाद किसी समय देनदार व्यक्ति के नाम मांग का एक नोटिस तामील कर अथवा करा सकता है, जिसमें उस व्यक्ति का नाम, उसके द्वारा देय धनराशि तथा वह व्यवसाय—संस्था, जिसके सम्बन्ध में धनराशि बकाया हो, उल्लिखित होंगे।

परिभाषाएं

^{1.} उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 30 जनवरी, 1958 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ;

^{2.} उ० प्र० अधिनियम संख्या ३६,१९७४ की धारा ९ (१) द्वारा प्रतिस्थापित तथा सदैव से रखा गया समझा जायं,।

रित्तर प्रदेश सरकारी बिजली—व्यवसाय—संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958}

{धारा 3–5क}

स्पष्टीकरण— (1) नोटिस का रिजस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना सम्बद्ध व्यक्ति पर पर्याप्त तामील माना जायगा।

स्पष्टीकरण— (2) बिल में देय धनराशि के भुगतान के लिये उल्लिखित दिनांक की समाप्ति पर सरकारी बिजली—व्यवसाय—संस्था को देय धनराशि बकाया हुई समझी जायगी।

4— (1) जब धारा 3 के अधीन किसी उपभोक्ता पर अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्त्ता पर कोई मांग की नोटिस तामील हो जाय और यदि वह बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश के दायित्व से इन्कार करता हो तो वह नियत प्राधिकारी के पास लिखित विरोध सिहत वह धनराशि जमा करने के पश्चात्, इस प्रकार जमा की हुई बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश की वापसी के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

देयों के देने के दायित्व सम्बन्धी आपत्ति के वाद

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट वाद नियत प्राधिकारी के पास धनराशि जमा करने के दिनांक से छः महीने के भीतर साधिक्षेत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, मांग की नोटिस उसमे उल्लिखित देयों के सम्बन्ध मे निश्चायक प्रमाण होगी।

5— बकाया धनराशियां, जिनके निमित्त मांग की नोटिस तामील हो गया हो, यदि तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अविध के भीतर जिसकी नियत प्राधिकारी अनुज्ञा दे, न जमा की जाय, तो वे वसूली के उस व्यय सिहत जो नियत किया जाय, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी, भले ही किसी विधि या करण या अनुबंध में कोई विरोधी बात हो।

देयों की वसूली अन्य विधि तथा अनुबंध की प्रवृत्ति

[5—क— इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए, भी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं देयों की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किसी वाद के सम्बन्ध में कालाविध उस दिनांक से छः वर्ष की होगी जब से किसी निजी व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के वाद के लिए इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 के अधीन कालाविध प्रारम्भ हो :

अवधि काल का बढ़ाया जाना

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक के पूर्व प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं देयों की वसूली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 60 की उपधारा (1) के आधार पर बोर्ड द्वारा निवेशित किसी वाद के लिए कालाविध वही होगी, जिसकी व्यवस्था इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 149 में की गयी है किन्तु वह बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक से छः वर्ष से अधिक की न होगी। }2

ऐक्ट, संख्या 9,1908 ऐक्ट,संख्या 54,1948 ऐक्ट संख्या, 9,1908

6— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार

- (2) विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती उपबंधों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, इन नियमों में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात —
 - (क) नोटिस का रूप तथा रीति, जिससे वह तामील किया जाय;
 - (ख) मांग के नोटिस के व्यय तथा वसूली के व्यय ;
 - (ग) अन्य कोई विषय, जो नियत करना हो अथवा किया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 36,1974 की धारा 9 (2) द्वारा रखा गया दिनांक 9 अक्टूबर, 1972 से रखे गये समझे जायें।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 27,1963 की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी तथा 1 अप्रैल, 1959 से प्रचलित हुई समझी जाय।

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT ELECTRICAL UNDERTAKINGS (DUES RECOVERY) ACT, 1958¹

[U. P. ACT No. XVI of 1958]

Amended by U. P. Act no. XXVII of 1963 and by U. P. Act no. XXXVI of 1974

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 10, 1958 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 26, 1958.

Received the assent of the President on May 8, 1958, under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated May 12, 1958.]

AN ACT

to provide for expeditious recovery of Government dues for the supply of electrical energy by Government undertakings;

WHEREAS it is expedient to make provision for expeditious recovery of dues for the supply of energy by Government undertakings;

It is hereby enacted as follows in the ninth year of the Republic of India:--

Short title,

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act, 1958.

extent and commencement

- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force at once.

Definition

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-----
 - [(a) "Consumer" means any person who is supplied with energy by a Government electrical undertaking whether for his own consumption or in connection with his business of supplying energy or otherwise;]²
 - (b) "Prescribed authority" includes any person authorized as such by the State Government, by notification in the official Gazette to perform the functions of Prescribed Authority under this Act for such area as may be specified in the notification;
 - (c) "Government Electrical Undertakings" includes the Kanpur Electric Supply Administration and such other electrical undertakings run or controlled by the State Government or the Board as may be notified in this behalf;
 - (d) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh; and
 - (e) "Board" means the "State Electricity Board" constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended from time to time.

Notice of demand or dues not paid 3. Where any dues [including the amount of security payable under section 47-A of the Electricity (Supply) Act, 1948]² are payable by a consumer to a Government Electrical Undertaking, the prescribed authority may, at any time after thirty days from the date on which such dues accrued, serve or cause to be served upon the person liable, a notice of demand stating the name of the person, the amount payable by him and the undertaking in respect of which it is due.

^{1.} For Statement of Objects and reason see. U. P. Gazette Extraordinary, dated January 30, 1958.

^{2.} Subs. by s. 9(i) of U. P. Act No. 36, 1974 and be deemed always to have been substituted.

[The Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act, 1958] [Section 4-6]

Explanation (1)- The sending of the notice by registered post shall be deemed to be sufficient service on the person concerned.

Explanation (2)- A sum due to a Government Electrical Undertaking shall be deemed to have accrued on the expiry of the date mentioned in the bill for payment of the dues.

Suit to challenge the liability to pay dues

- (1) Where a notice of demand has been served on the consumer, or his authorized agent, under section 3, he may, if he denies his liability to pay the dues or any part thereof, and upon deposit thereof with the prescribed authority under protest in writing, institute a suit for the refund of the dues or part thereof so deposited.
 - (2) The suit referred to in sub-section (1) may be instituted at any time within six months from the date of deposit with the prescribed authority in the Court having jurisdiction, but subject to the result of the suit the notice or demand shall be conclusive proof of the dues mentioned therein.

Recovery of dues

5.

4.

If the dues for which notice of demand has been served are not deposited with the prescribed authority within thirty days from the date of service, or such extended period as the prescribed authority may allow, the same together with such costs of recovery as may be prescribed shall be recoverable as arrears of land revenue, anything contained in any other law or instrument or agreement to the contrary notwithstanding.

agreement [Extension of

period of

limitation

Application of

other laws and

5-A

Act no. LIV of 1948

Act IX of 1908

Act no. IX of 1908

Notwithstanding anything in the Indian Limitation Act, 1908, or any other law for the time being in force, the period of limitation in respect of any suit by or on behalf of the Board, for the recovery of any dues under this Act shall be six years from the date from which the period of limitation would begin to run under the Indian Limitation Act, 1908, against a like suit by a private person:

Provided that the period of limitation for any suit filed by the Board by virtue of sub-section (1) of section 60 of the Electricity (Supply) Act, 1948, for the recovery of any dues accruing before the date of the first constitution of the Board, shall be the same as provided in Article 149 of the First Schedule to the Indian Limitation Act, 1908, but not, exceeding six years from the first constitution of the Board.]²

Power to make rules

- 6. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, namely-
 - (a) the form of notice and the manner in which it may be served;
 - (b) the costs of the notice of demand and the costs of recovery;
 - (c) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

Inserted by section 9 (ii) of U. P. Act No. 36 of 1974 and be deemed to have been inserted with effect from October 9, 1972.

^{2.} Added by section 2 of U. P. Act No. XXVII, 1963 end be deemed to have been operative with effect from April 1, 1959.